REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 3.8014(UIF)
VOLUME - 6 | ISSUE - 6 | MARCH - 2017

सामाजिक न्याय का विकास एवं सामाजिक राजनीति परिवर्तन

डॉ. शम्भु नाथ सुमन
बी० ए०, एम० ए० (इतिहास), पी-एच. डी.
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा.

भूमिका

हर समाज की अपनी मौलिक रचना होती है। जिस संरचना को उस समाज के लोग देखते हैं, वह वैसी नहीं होती जैसी समाजशास्त्री शोध और अनुमानों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। भारतीय समाजशास्त्रियों ने जाति-व्यवस्था जटिल तथ्यों को वर्ण वर्ग की मर्यादाओं में समझने की भूल की और जिसके चलते सामाजिक संरचना का अध्ययन सतही हो गया। हमारे अध्ययन काल के दौरान जाति-व्यवस्था का असर कई नए-नए कार्यक्षेत्रों में विस्तृत हुआ और उसकी ऐतिहासिक एवं मौजूदा तंत्र की नितांत नए दृष्टिकोण से विश्लेषण की आवश्यकता है।

हमारे यहाँ जाति-व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी है कि बिना इसके सापेक्ष परिकलन किए मूल

समस्याओं की बात करना बेमानी है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धान्त में जाति निरपेक्ष हो गए, अर्थात् वे सबके लिए खुले थे और किसी जाति, सम्प्रदाय या धर्म में जन्म लेने के कारण किसी का उनमें प्रवेश वर्जित न था, किन्तु यथार्थ में वह साधारणतः ऊँची जातियों के लिए ही अधिक सुलभ थे, जिनकी पहले से ही विद्या, सरकारी नौकरी द्वारा प्रतिष्ठादायक और ऊँचे वेतन वाली सरकारी नौकरी तथा अन्य नौकरियाँ पा जाती थीं परन्तु नीची जातियाँ इस मामले में पिछड़ी जा रही थी। इससे ऊँची जातियाँ और निचली जातियों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दूसरी बढ़ने लगी। अतः इस खाई के पारने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयत्न होने लगे।

पिछड़ी जातियों के उत्थनार्थ सरकार की नीति एवं ग्रामीण विकास का सर्वोत्तम संगठन निम्नलिखित पाँच कार्य बिन्दुओं पर आधारित हैः-

१. कृषि और ग्रामीण उद्योग।
२. सफाई, स्वास्थ्य और गृह व्यवस्था।
३. ग्रामीण शिक्षा।
४. ग्रामीण संगठन और
५. ग्रामीण संस्कृति।

ग्रामीण विकास का लक्ष्य न्यायपूर्ण समानता विकसित करना

ग्रामीण विकास का अन्तिम लक्ष्य केवल आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं को ही कुशलता प्रदान करना नहीं है बल्कि अधिकाधिक न्यायपूर्ण समानता विकसित करना है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों और शहरों की ओर शहरी पलायन को भी रोकना है।

इस सम्बन्ध में इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों में विरोध नहीं होना चाहिए।

प्रत्येक ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कोई न कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इन विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है।

भारत गांवों का देश है। यहाँ कि दो तिहाई आबादी गांवों में रहती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। आजादी से पहले से ही गांव का माहौल दासता-उत्पीड़न-शोषण था, जिसके कारण गांव और गांववासी पिछड़े, दुःखी, गरीब और उपेक्षित बने हुए थे। गांव काफी पिछड़े हुए थे। वहाँ अनेक सामाजिक, आर्थिक, समस्याएँ थी, जो विकास के मार्ग में बाधक थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास कार्यक्रम

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरूआत की। इन विकास कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार करना एवं उन्हें उच्च जातियों के समकक्ष खड़ा करना था। बिहार की अधिकांश गांवों में रहती है। अतः यह जरूरी था कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए बिहार के गाँवों का विकास किया जाय।

स्वतंत्रता के पूर्व से ही राज्य की पिछड़ी जातियाँ लगभग पूर्णतः विघटित एवं समस्याग्रस्त थे। वह गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, अन्ध-विश्वास, शोषण एवं वाचनाओं से ग्रसित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने इन पिछड़ी जातियों के उत्थान की ओर ध्यान दिया। इनके विकास के लिए ग्रामों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। जब तक ग्रामों का कायापलट नहीं किया जाता, उनकी दशा नहीं सुधारी जा सकती, उनके प्रगति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तब तक प्रगति असम्भव है।

बिहार जैसे राज्य में ग्रामों और यहाँ की पिछड़ी जातियों की अवहेलना करके प्रगति की ओर कदापि अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ ग्रामीण विकास को विशेष महत्ता प्रदान की गयी। इस हेतु समय-समय पर अनेक विकास कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये।

आजादी के तुरन्त बाद समाजवाद एवं जनतंत्र के सिद्धान्त कुल ग्रामीण समुदाय के समग्र विकास हेतु एक वृहद् एवं व्यापक कार्यक्रम २ अक्टूबर १९५२ ई० को लागू किया गया किन्तु जनसहयोग के अभाव तथा अन्य कारणों से इस कार्यक्रमों को सफलता नहीं मिल पायी। इसके उपरान्त अन्य कई कार्यक्रम बने, जो अभी भी क्रियान्वित हुए हैं या हो रहे हैं, जनमे प्रमुख हैं:

पंचायती राजः-

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जनता का कार्यक्रम बनाने और आवश्यक जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु बलवन्त राय मेहता कमिटी ने सन् १९५७ ई० में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि इसमें स्थानीय जनता की रूचि और सहभागिता में वृद्धि की जाए। कमिटी ने सामुदायिक विकास को अपना लक्ष्य माना है और पंचायती राज को इस लक्ष्य की पूर्ति का साधन विकास कार्यों में ग्रामीण जनता का सक्रिय सहयोग करने विकास योजनाओं को जनप्रतिनिधियों को सौंपने तथा पुनर्निमाण के विभिन्न कार्यों को सफल बनाने के लिए पंचायती राज की स्थापना पर जोर दिया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। साथ ही इसमें पिछड़ी जातियों की अधिकतम भागीदारी का प्रयत्न किया गया।

राष्ट्रीय विकास परिषद् में सन् १९५८ ई० में इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। सामुदायिक विकास परिषद् के द्वारा राज्य सरकारों को कहा गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज की योजना को लागू करें।

इस प्रकार सन् १९५९ ई० में पंचायती राज योजना को आरम्भ किया गया और यह आशा की गयी कि अब ग्रामीण पुर्ननिर्माण हेतु विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू करने में ग्रामीण जनता पहल करेगी और जनसहयोग प्रदान करेगी।

इस तरह पंचायती राज योजना के माध्यम से राजनीतिक सत्ता को निचले स्तरों को हस्तान्तरित किया गया जिसके अन्तर्गत स्वयं जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को स्थानीय प्रशासनिक अधिकार सौंपने की व्यवस्था की गयी ताकि वे यह अनुभव करें कि योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में उनका प्रभावशाली योगदान है। पंचायती राज प्रणाली निम्नन सिद्धान्तों पर आधारित है:-

१. स्थानीय स्व-शासन के तीन स्तर या तीन श्रेणियां होनी चाहिए। ये तीन श्रेणियां ग्राम से जिला स्तर तक फैली होनी चाहिए तथा आपस में पूरी तरह जुड़ी होनी चाहिए।
२. प्रत्येक निकाय को सम्पूर्ण स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होना चाहिए तथा प्रत्येक की जिम्मेदारी भी साफ-साफ उल्लिखित हों।
३. अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने के लिए प्रत्येक निकाय को पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
४. सम्बन्धित स्तर के सभी विकास कार्यक्रमों की स्वीकृति इन निकायों द्वारा ही दिया जाना चाहिए।

पंचायती राज की तीन श्रेणिया हैं:- १. ग्राम-स्तर पर पंचायत, २. ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियाँ तथा ३. जिला स्तर पर जिला परिषद्।

ग्राम पंचायत गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होती है। ये पंचायत अपने प्रतिनिधि ब्लॉक पंचायत समितियों को भेजती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त महिलाओं, पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के सदस्यों को भी पंचायत समिति में शामिल किया जाता है। पंचायत समितियों के प्रधान तथा विधान सभा के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। जिलाधीश के सहयोग के साथ जिला परिषद् कार्य करती है। सरकारी विभाग ब्लॉक स्तरीय पंचायत समितियों को सलाह एवं सहायता करता है। ये समितियाँ स्वायत्तावाली होती है।

इस संस्थाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्राम उपयोग का विकास, सहकारी संस्थाओं की स्थापना, स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, पिछड़ी जातियों की सहायता, ग्राम-पंचायत समुदाय में आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देना आदि है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायती राज की सबसे बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि ग्रामवासी को प्रजातंत्र का वास्तविक अर्थ समझाकर उनमें राजनीतिक जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जा सका। शिक्षा परिवहन, विद्युतीकरण, कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण समाज में एक नई सृजनात्मक शक्ति का उद्भव हुआ है। जिससे पिछड़ी जातियों में भी जागृति आई।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छुआछूत रहित क्रांति का उद्भव

इसी प्रकार देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छुआछूत रहित क्रांति का उद्भव भी पंचायतों की ही देन है। ग्राम-स्तर पर ही होने के कारण ग्राम पंचायत किसी भी स्थिति अथवा समस्या का सही जायजा लेती है जो राज्य-स्तर एवं राष्ट्र-स्तर की किसी भी संस्था द्वारा सम्भव नहीं है।

अगले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा भारी रकम ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर खर्च किये जाने का अनुमान है। इसे सही ढ़ंग से एवं सही कार्यों के लिए खर्च करने के लिए बेहतर होगा कि भावी योजनाओं में ग्राम पंचायतों का सक्रिय योगदान लिया जाए। ब्लॉक-स्तर से जिला-स्तर तक के योजनाओं को तैयार करने में ग्राम-पंचायत से सलाह-मशवरा लिया जाना चाहिए।

ग्राम विकास और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके द्वारा विकास और कल्याण परक कार्यों में लोगों को सहयोगी बनाकर इन कार्यों को विशेष बढ़ावा दिया गया है।

पंचायती राज ने ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को तैयार किया, कृषि-उपादानों एवं उपस्करों की आपूर्ति एवं आवंटन, टैंकों का निर्माण, सिंचाई के साधनों का प्रबंध, प्राथमिक विद्यालय एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, सड़क निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, नए बीजों एवं कीटाणु नाशक दवाईयों के प्रसार आदि उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं।

यहीं नहीं बल्कि पंचायत राज प्रणाली में समस्त ग्रामीण समुदाय और विशेष रूप से पिछड़ी जातियों एवं भूमिहीन कृषक, श्रमिक, सीमान्त और छोटे कृषक, ग्रामीण दस्तकार और छोटे दुकानदार के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास की एक व्यापक योजना को तैयार किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक न्यायपूर्ण और समन्वित सामाजिक ढ़ाँचे के निर्माण में मदद मिलती है।

पंचायती राज के कार्यों की समीक्षा के लिए समय-समय पर विभिन्न सतितियों का गठन किया गया, जो इसके कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर इस प्रणाली के प्रमुख कमियों का उल्लेख किया है:-

१. गाँव निवासी के गुट-बन्दी के कारण पंचायत का निर्माण सर्वमान्य नहीं हो पाता था।
२. पंचायती राज के कार्यों में राजनीतिज्ञों के दखल-अंदाजी के कारण ये इकाई अपना स्वतंत्र रूप धारण नहीं कर पायी।
३. पंचायती राज के द्वारा विकास के लाभों को साधन-सम्पन्न वर्ग के द्वारा सुविधा लिये जाने के कारण पिछड़ी जातियों के कमजोर वर्गों को विशेष प्रकार का लाभ नहीं मिला, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विषमताएं बढ़ती गई।
४. ग्रामीण जनता के अशिक्षित होने और गरीबों के कारण ये संस्थाएँ उस भावना से कार्य नहीं कर पाती जिस भावना से इसे अपना कार्य करना चाहिए।

उपरोक्त कमजोरियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न दशाओं में इसमें सुधार किए जाएँ, जिसके लिए निम्न सुझाव जरूरी है:-

१. सर्वप्रथम गांव स्तर की विकास ययोजना तथा कार्यक्रम तैयार करने का मौलिक अधिकार पंचायती राज संस्था को दिया जाना चाहिए।
२. पंचायत को कर लगाने का अधिकार मिले जिससे यह अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकें।
३. प्रभावशाली व्यक्तियों एवं राजनीतिज्ञों के द्वारा पंचायती राज संगठन के कार्यों में दखलन्दाजी को बन्द करवाना होगा।
४. पंचायती राज का ढ़ांचा इस प्रकार से गठन किया जाना चाहिए कि ग्रामीण विकास में लगी अन्य सभी संस्थाएं इनसे जुड़ जाये।
५. पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ी जातियों की अधिकतम भागीदारी हो।

पंचायती राज को और अधिक सक्रीय एवं अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से आवश्यक सुझाव देने के लिए सरकार ने श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में सन् १९७७ ई० में एक विशेष समिति का गठन किया जिसने १९७८ ई० में अपनी रिपोर्ट पेश किया।

समिति ने यह सिफारिश की कि विकेन्द्रीकरण का पहला बिन्दु जिला होना चाहिए एवं जिला-स्तर पर वे सभी विस्तृत सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जिनकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक सुनिश्चित योजना तैयार की जा सके। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा संसद में संविधान में ७३ संशोधन किया गया, जिसमें सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की तीन स्तरीय प्रणाली लागू किया गया। पाँच वर्ष के बाद पंचायत का चुनाव करवाया जाए। इन संस्थाओं को अपनी आमदनी के लिए कर आदि लगाने के अधिकार दिये जाएँ।

निष्कर्षः-

उपरोक्त बातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था में ग्रामीण पंचायतों को भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन संस्थाओं से अपेक्षा की जा रही है कि ये स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उचित योजनाएँ तैयार करेंगी जिससे कि उपलब्ध संसाधनों का स्थानीय ग्रामीण विकास में सही उपयोग हो सके।

बिहार के पंचायती राज की स्थापना से न केवल स्थानीय स्वशासन की दिशाओं में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है वरन् लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप भी प्रदान किया गया है। बिहार सरकार ने १५ सितम्बर १९५८ ई० से लोकल बोर्ड एवं जिला बोर्ड को स्थगित कर दिया था। इसके बाद बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम १९६१ ई० पारित किया गया १५ अगस्त १९६३ ई० से अधिनियम के आधार पर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर तथा रांची जिला में स्थानीय संस्थाओं का गठन किया गया। इसके आधार पर गांव-स्तर में ग्राम पंचायत, प्रवहण-स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला-स्तर पर जिला परिषद् की स्थापना की गयी। पंचायती राज के माध्यम से राज्य के ग्रामों में स्वास्थ्य-सुधार, सफाई की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, यातायात, मातृत्व एवं शिशु कल्याण सहकारी समितियों का विकास, कृषि में सुधान एवं शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। परन्तु २००१ में बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ है। लेकिन राज्य में पंचायती राज अभी पूर्णरूप से लागू नहीं हुआ है।

संदर्भ सूची

१. डॉ. कुमारप्पा भारतन, कैपिटलिज्म, सोसलिज्म ऑफ विलेसिज्म, पृ.-सं.-१८४-१९४७.
२. मूर्ति बी.बी. रमन्ना, नान वायलेंस इन पालिटिक्स पृ. - ८८.
३. वही।
४. ईश्वर धींगरा, भारत में ग्रामीण विकास, ''ग्रामीण अर्थशास्त्र'' सुलतान चन्द्र एण्ड सन्स, १९७१ ई. पृ. -३.
५. ग्रामीण विकास कार्यक्रम- एक रूपरेखा ''कुरूक्षेत्र'' १९९५ ई., पृ.-३६.
६. वही, पृ.-३७.
७. वही, पृ.-३७.
८. वही, पृ.-३८.
९. ग्रामीण विकास एवं गांधीवाद, ''कुरूक्षेत्र'', १९९६ ई., जुलाई, पृ.सं. -१६.
१०. गाँव एवं विकास योजना, ''योजना'' १९९६ ई., जून, पृ.सं. -४.
११. ''विश्व बैंक रिपोर्ट'' भारत, १९९६ ई., पृसं. १३६.
१२. ईश्वर धींगरा, उपरोक्त, पृ.-४.
१३. गाँधीजी का रामराज्य, ''कुरूक्षेत्र'' जुलाई १९९५ ई० पृ.सं.-४२.
१४. गाँव एवं आर्थिक विकास, ''कुरूक्षेत्र'' मई १९९५ ई० पृ.सं.-१६.

१५. ईश्वर धींगरा, ''भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था'' ग्रामीण अर्थशास्त्र, पृ.सं.- १-६.
१६. ईश्वर धींगरा, भारत में ग्रामीण विकास'' ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पृ.सं.-८.
१७. अग्रवाल एवं पाण्डेय, ''सामुदायिक विकास कार्यक्रम'' ग्रामीण समाजशास्त्र, पृ.सं.-३०५.
१८. ईश्वर धींगरा, उपर्युक्त, पृ-१७.
१९. वही, पृ.-१७.
२०. वही, पृ.-१३३.
२१. ''भारत में पंचायतीराज'', ''कुरूक्षेत्र'' जुलाई १९९५ ई० पृ.सं. -२१.